

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री मासिंगाराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 60/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नेमाराम पुत्र सीमाराम जाति माली निवासी, बेरा तेजसागर नेहडा बेरा, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. प्रेमचन्द पुत्र सीमाराम, जाति माली 2. मांगीलाल गोदी पुत्र कानाराम जाति माली, निवासी बेरा तेजसागर नेहडा बेरा, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0 3. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:-



1. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री देवाराम परिहार, धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता प्रतिवादी उप0

:- निर्णय :-

दिनांक - 16/10/2024

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खसरा नम्बर 2708 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 2720 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.0100 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड <sup>बाउण्ड्स</sup> बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 10.07.2017 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/राजस्व /1448 दिनांक 24.09.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.09.2024 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते हैं।

:- आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 23.09.2024 अनुसार डिक्री वहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की रादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खसरा नम्बर 2708 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 2720 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा

उपखण्ड अधिकारी  
सोजत, जिला-पाली

कुल रकबा 1.0100 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काशत की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारी के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	मांगीलाल दत्तक पुत्र काना जाति माली सा. देह खातेदार	2708	0.2300	चा.दो.	5.69
		2720	0.2750	जा.दो.	7.01
2.	नेमा पुत्र सीमा कौम माली सा.देह खातेदार	02	0.5050		12.69
		2708 / 2	0.1150	चा.दो0	2.84
		2720 / 2	0.1375	जा0दो0	3.51
3	प्रेमचन्द पुत्र सीमा कौम माली सा.देह खातेदार	02	0.2525		6.35
		2708 / 1	0.1150	चा.दो.	2.84
		2720 / 1	0.1375	जा.दो.	3.51
		02	0.2525		6.35

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काशत में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो



यह निर्णय आज दिनांक 16/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिगाराम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत  
उपखण्ड अधिकारी  
सोजत, जिला-पाली

(मासिगाराम)

उपखण्ड अधिकारी, सोजत  
उपखण्ड अधिकारी  
सोजत, जिला-पाली

## डिक्री बमुकदमें इक्तदाई

(ओ020 नियम 6-7 जाका दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली  
बइजलाश श्री भासिंगाराम, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. नेमाराम पुत्र सीमाराम जाति माली निवासी, बेरा तेजसागर नेहडा बेरा, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. प्रेमचन्द पुत्र सीमाराम, जाति माली 2. मांगीलाल गोदी पुत्र कानाराम जाति माली, निवासी बेरा तेजसागर नेहडा बेरा, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0 3. तहसीलदार (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली राज0

राजस्व वाद 60/2016

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी तथा श्री देवाराम परिहार, धमीचन्द देवासी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुकम दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक 02 के खसरा नम्बर 2708 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा संख्या 2720 रकबा 0.5500 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.0100 हैक्टर की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है -

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	मांगीलाल दत्तक पुत्र काना जाति माली सा. देह खातेदार	2708	0.2300	चा.दो.	5.69
		2720	0.2750	जा.दो.	7.01
		02	0.5050		12.69
2.	नेमा पुत्र सीमा कौम माली सा.देह खातेदार	2708/2	0.1150	चा.दो0	2.84
		2720/2	0.1375	जा0दो0	3.51
		02	0.2525		6.35
3.	प्रेमचन्द पुत्र सीमा कौम माली सा.देह खातेदार	2708/1	0.1150	चा.दो.	2.84
		2720/1	0.1375	जा.दो.	3.51
		02	0.2525		6.35

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरभीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई

राजस्व अधिकारी  
सोजत, जिला-पाली

पत्रावली फॉसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील/तरतीब जाक्ता दाखिल  
लेख्य गण्डार जमा हो

मीजान -

मुबलिंग -

बावत -

खर्चा इस मुकददमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना व्याज की तारीख से तारीख  
वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

वशित्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 16/10/2024 को जारी  
की गई।

(16)

(मासिगाराम)

उपस्थित अधिकारी  
साजत, जिला-पाली

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बावत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बावत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.

